>

Title : Need to exempt wearing of helmets on internal roads and make it compulsory for two wheeler drivers on highways only.

**श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सर्व सामान्य नागरिकों का एक नियम के कारण जो तकलीफ होती है, उस नियम के बारे में मैं बताना चाहता हूं। ट्रैफिक नियमों को आधार बनाकर हैलमेट पहनकर ही टू व्हीलर वाहन चलाने के नियम के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र संभाजीनगर, औरंगाबाद में और महाराष्ट्र में और कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। सिटी में वाहनों की गति सीमा 20 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित होती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि कम्पलसरी हैलमेट पहनने का नियम हाईवे पर लागू होना चाहिए या शहर के बाहर होना चाहिए। परंतु जहां ट्रैफिक बढ़ जाता है और उसके कारण बहुत कंजैशन होता है, वहां पुलिस के द्वारा तथा अन्य तरीकों से वाहनधारकों को तकलीफ मिलती है। इसलिए इन परेशानियों को दूर करने के लिए हाईवे पर ही हैलमेट पहनने का कानून होना चाहिए।

इसलिए इस सदन के माध्यम से इस नियम में कुछ ऐसा अमैन्डमैन्ट होना चाहिए कि हैलमेट न पहनने वालों को चालान और इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए माननीय सड़क परिवहन मंत्री इस कानून में ऐसा सुधार करें, ताकि किसी को तकलीफ न हो। टू व्हीलर वाहनों के लिए हाईवे पर हैलमेट पहनना कंपलसरी किया जाए और सिटी में ऑप्शनल रखा जाए। ताकि हैलमेट न पहनने वालों को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो तकलीफ होती है, वह तकलीफ दूर हो जाए।